से जारी हुए

वकीलों व पक्षकारों के ... दिनांक .... को पढ़ा गया।

9/9/20	तारीख पेशी। जनरल नोटिस के बाद ली जाने पर पत्रावली बयान पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप० अप्रार्थीगण की ओर से श्री किशोर कुमार शर्मा एड० ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसकी नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस दि० 14/10/20 को पेश हो। [signature]
14/10/20	वकील उभयपक्ष उप०। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11/11/20 को पेश हो। [signature]
11/11/20	वकील उभयपक्ष उप०। पूर्वानुसार वास्ते आदेश दिनांक 2/12/20 को पेश हो। [signature]
2/12/20	वकील उभयपक्ष उप०। बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी किया गया। पत्रावली के फैसल शुमार होकर नियमानुसार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
31 / 20	अस्थायी निषेधाज्ञा	08.07.20	02.12.2020

01. रामजीलाल पुत्र बीरबल उम्र 70 साल । जाति मीना निवासी डाबरा तहसील सपोटरा
02. कमला देवी पत्नि बीरबल उम्र 90 साल। जिला करौली राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

01. हंसराज उर्फ कुच्चा पुत्र गोकल जाति मीना
02. लेखराज पुत्र लोहरस्या उर्फ फट्टू जाति मीना। निवासीयान डाबरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री श्यामाकाश शर्मा वकील वादीगण।
श्री विनोद कुमार शर्मा वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नं0 1619 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम डाबरा तहसील सपोटरा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। जिससे अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। अप्रार्थीगण गिरोहबंद झगड़ालू किस्म के पैसे वाले व ताकत वाले व्यक्ति है जबकि अप्रार्थीगण बुजुर्ग जईफूल उम्र 70 साल व 90 साल के है जिस कमजोरी का फायदा उठाकर जमीन को अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से छीनने पर उतारू है। दिनांक 07.07.2020 को प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त जमीन की देखभाल करने जमीन पर गये तो अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हम जमीन को जबरन काश्त करेंगें और ताकत के बल पर बेदखल करेगें व कब्जे काश्त में मदाखलत मजामहत पैदा कर जमीन काश्त करने से वंचित कर देगें। इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण ने जरिये वकील उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर कथन किया है कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण की खरीदशुदा एवं कब्जे काश्त की आराजी है एवं प्रार्थी सं0 1 रामजीलाल के पुत्र समयराज से दिनांक 16.10.2013 को जरिये विक्रय पत्र इकरारनामा खरीदी है एवं खरीद दिनांक से ही कब्जे काश्त है। इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 1619 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम डाबरा तहसील सपोटरा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी है एवं इस भूमि से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नही है। अप्रार्थीगण ने जवाबदावा में उक्त आराजी के संबंध मे जो अपंजीकृत विक्रय पत्र पेश किया है उससे प्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है एवं अपंजीकृत विक्रय पत्र पढे जाने योग्य नही है। उक्त विक्रय पत्र से खातेदार ने बेचान नही किया है। अतः विक्रय पत्र प्रभावहीन एवं शून्य है। इससे खातेदार के अधिकारों पर प्रभाव नही पड़ता है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाीय निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नं0 1619 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा में मदाखलत एवं मजामहत ना तो स्वयं करे ना ही दीगर व्यक्ति से करावें।

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला–करौली

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण के वकील ने दौराने बहस अपना कथन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण की खरीदशुदा एवं कब्जे काश्त की आराजी है एवं प्रार्थी सं0 1 रामजीलाल के पुत्र रामराज से दिनांक 16.10.2019 को जरिये विक्रय पत्र इकरारनामा खरीदी है एवं खरीद दिनांक से ही कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण पर मनन किया गया। जमाबंदी सम्वत 2075-78 के अनुसार प्रार्थीगण खसरा नं0 1619 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी को प्रार्थी सं0 1 के पुत्र रामराज द्वारा जरिये विक्रय पत्र इकरारनामा बेचान का विक्रय पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त बयनामा अपंजीकृत दस्तावेज है एवं रामराज को उक्त आराजी को बेचने के अधिकार ही प्राप्त नहीं थे। अतः बयनामा शुरूआत से ही प्रभावहीन एवं शून्य है। अप्रार्थीगण को उक्त विवादित आराजी मे कोई हक प्राप्त नही है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश दिनांक 08.07.2020 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है कि ग्राम [illegible] तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 1619 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे मदाखलत एवं मजाहमत ना तो स्वयं करे ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावे। निर्णय आज दिनांक 02.12.2020 को राये इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओम प्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with CamScanner